तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.2.2020	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के एडमिशन हेतु अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण रामसिंह पुत्र रेवड़मल महावर व श्रीमति लक्ष्मीदेवी पत्नि रामसिंह महावर मकान नं0 ए–47 ब्लॉक एय, सोरव विहार जैतपुर बदरपर नई दिल्ली के रहने वाले हैं। प्रार्थी रामसिंह के भाई मोतीराम व मोतीराम की पत्नि का देहान्त हो चुका है। मोतीराम की छोटी पुत्री शगुन को गोद लेने हेतु प्रार्थी रामसिंह की पत्नि लक्ष्मीदेवी की सगी बहिन मीरा देवी महावर ने इच्छा जाहिर की। जिस पर शगुन महावर को दिनांक 18.4.2018 को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व रिश्तेदारों के समक्ष प्रार्थीगण ने श्रीमती मीरा देवी महावर को गोद प्रदत्त कर दिया। कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिये गोद पत्र रजिस्टर्ड कराने के उप पंजीयक कार्यालय दौसा के समक्ष गोद पत्र पेश करने पर उप पंजीयक दौसा ने गोद पत्र को रजिस्टर्ड करने से इंकार कर दिया। उप पंजीयक दौसा के आदेश दिनांक 11.2.2019 को निरस्त कर प्रार्थीगण का गोदपत्र पंजीयन करने बाबत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 (4) के अनुसार जहां माता और पिता दोनो मर चुके हों तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत स्वयं संरक्षक भी आता है, दत्तक दे सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 6 (2)के अनुसार कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा हिन्दु दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(4) के प्रावधान अनुसार सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण न्यायालय में एडमिशन के योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र एडमिशन के स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजात प्रार्थी को लौटाये जावे। रिकॉर्ड संधारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर से कम किया जावे। निर्णय आज दिनांक 03.2.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलेक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official